बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 संख्या – 17 क्षे0स्था0 (उ0स्त0 समिति)–75 / 2019.685 पटना, दिनांक :–17-03-2022

आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–1 / मु0स्था0रा0भू0 (संविदा) 24–02 / 2021–309 (1) / रा0 दिनांक–15.03.2022 के द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019" के तहत नियोजित कर्मियों को योजना आधारित नियोजन होने के बिन्दु को दृष्टिपथ में रखते हुए आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य सभी अवकाश एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के उपरांत निम्नानुसार देय होगा :–

1. **आकस्मिक अवकाश**–पाँच / छह कार्यदिवस सप्ताह वाले कार्यालयों के लिए प्रतिवर्ष यथास्थिति बारह / सोलह दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा;
2. **अर्जित अवकाश**– एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू)। अर्जित अवकाश अधिकतम 60 दिन ही संचित होगा। इससे अधिक व्ययगत हो जायेगा;
3. **मातृत्व अवकाश**–सभी महिला कर्मियों को चिकित्सा कागजात संलग्न किये जाने पर 180 दिनों मातृत्व अवकाश देय होगा, जिसमें से 08 सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं शेष 18 सप्ताह का अवकाश, शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य होगा। दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह की छुट्टी देय होगी;
4. **पितृत्व अवकाश**– प्रसव के दौरान पत्नी की गंभीर बीमारी की स्थिति मात्र में 15 दिन (दो बच्चों तक) के लिए पितृत्व अवकाश देय होगा, इस के लिए चिकित्सा कागजात संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
5. **अवैतनिक अवकाश**– किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं रहने की स्थिति में कर्मियों को प्रति वर्ष विशेष परिस्थिति में अधिकतम 30 दिनों का अवैतनिक अवकाश अनुमान्य होगा, परन्तु अवकाश पर जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक होगा;
6. आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय होंगे।
7. इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अनुमान्य नहीं है। किसी भी स्थिति में अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में किसी प्रकार का अवकाश शेष रहने के बावजूद अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी और दण्ड स्वरूप सेवा समाप्त किया जा सकेगा।
8. उपर्युक्त प्रावधान आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। पूर्व के मामलों पर उपर्युक्त प्रावधान के तत्वाधीन निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

(जय सिंह) 17/3/22
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक— 17 क्षे०स्था० (उ०स्त० समिति)—75/2019 685 पटना, दिनांक :—17-03-2022

प्रतिलिपिः— बन्दोवस्त पदाधिकारी, बाँका/शिवहर/सहरसा/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/किशनगंज/अररिया/कटिहार/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/जमुई/शेखपुरा/नालन्दा/प० चम्पारण (बेतिया)/पूर्णियाँ/खगड़िया एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक— 17 क्षे०स्था० (उ०स्त० समिति)—75/2019 685 पटना, दिनांक :—17-03-2022

प्रतिलिपिः— संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक कोषांग/सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/स्थापना शाखा, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप